



न्यायालय माननीय राज्य वृक्ष पद्धपदेश, गुवाहाटी

प्रकरण क्रमांक

श्री ८५०७० अष्टमा ८५
द्वारा आज दि ३-१-१७ को
प्रस्तुत
४-१-१७ (म) G. Jahan
बलक ऑफ कोट ३-१-१७
४-१-१७ गवाह संडल म.प्र. गवालियर

१२०१७ निगरानी

R 46-I-17

सुरेश नारायण शर्मा पुत्र रामपरोही शर्मा,
निवासी- सिड्धिकामा बीहरला, निष्ठा- तेजस्वील व
जिला पिण्ड-पद्धपदेश।

— — — प्रार्थी

विराघ

पद्धपदेश जासन

— — — प्रतिष्ठाधी

निगरानी विराघ वाकेश एस०डी०जी० पहाल्य मिष्ठ विकामी
२६-१२-१६, अन्तर्गत धारा ५० पद्धपदेश मू-राक्षव डीखता, १५५४।
प्रकरण क्रमांक ३२ १६-१० वरील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- १- यह कि अग्निहोत्र न्यायालयों की वासारे कानून उही नहीं है।
- २- यह कि, एस०डी०जी० पहाइय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति उही रूप से नहीं लिया गया है।
- ३- यह कि, एस०डी०जी० पहाइय ने ब्रह्मदण्ड०जी०लक्ष्मण प्रार्थी के स्थगन आवेदन-पत्र की निरस्त करने में उपरी न्यायिक विधेक का प्रयोग उही नहीं किया गया है।
- ४- यह कि, एस०डी०जी० पहाइय का आकेश, जापिल की परिमाणा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बीखिया कुछ जापिल न होकर सकारण आवेदन न हीमें से विवादित आवेदन निरस्ती योग्य है।
- ५- यह कि, एस०डी०जी० पहाइय ने उनके सदा प्रस्तुत स्थगन एवं जाप जापिल विवाद ही नहीं किया गया है।

श्रीमान् प्रभारा (२१ अ.)
गवाहियर विवादित आवेदन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-46-एक/17

जिला - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p> 	